25.11.25	उभय पक्ष उपस्थित वकील वादी ने पूर्व में प्रा.पत्र प्रस्तुत कर विभाजन प्रस्ताव मंजूर कर डिक्री का निवेदन किया प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित वकील ने लिखवा दिया कि No objection किया अदालत की राय विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पारित किया गया डिक्री जारी हो। [illegible] नंबर से जमा हो। निर्णय सुनाया गया। (signature) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2025/590

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:10 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढजिला–श्रीगंगानगर

भंवर सिंह बनाम मदन कंवर व अन्य

किस्म मुकदमाः–53,188 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–285/2025 (OLD Case No.157/2016)

GCMS:- 2025/590

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2025		

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। विभाजनल प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की है। अन्य खातेदार पक्षकारान द्वारा भी उपस्थित होकर कोई आपति प्रस्तुत नहीं की। पत्रावली में प्रस्तुत विभाजन पत्र का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव मौका रिपोर्ट के समय सभी पक्षकारो की उपस्थिति दर्ज है। किसी प्रकार का विवाद प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करते हुए वाद पत्र स्वीकार कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन किया जाना उचित समझते है। अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है एवं वाद पत्र में प्रश्नगत भूमि रोही चाहडसर तह0 सूरतगढ के ख0 नं0 63 में 2.200 है0, 65 में 14.758 है0, 89 में 2.402 है0, 221 में 1.240 है0, 352 में 1.6744 है0, 353 में 4.134 है0, 356 में 1.227 है0 = 27.636 है0 बारानी दोयम भूमि का खाता विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1. भंवर सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत साकिन देह खसरा सं0 65 = 8.6510 है0।
2. रामलाल पुत्र सोहनगिरी, प्रकाशगर, प्रताप, मनोहरी, इमरती, सुमित्रा, चन्द्रकला पुत्र/पुत्रीया सोहनगिरी जाति गुसांई साकिन धालड़का खसरा नं0 65 = 3.5276 है0।
3. मदन कंवर पुत्री फतेह सिंह जाति राजपूत साकिन देह खसरा सं0 65 =1.6071 है0।
4. मदन कंवर पत्नी रेवन्त सिंह जाति राजपूत साकिन 1 बी.एस.एम. (90 जी.बी.) खसरा सं0 65 = 0.4085 है0 एवं ख0 सं0 353 = 0.1805 है0 कुल 0.589 है0।
5. सुमेर सिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपूत साकिन देह खसरा सं0 89 = 1.821 है0।
6. विमला कंवर पत्नी महावीर सिंह, दीपु कंवर, राजेन्द्र सिंह, सुनीता कंवर पुत्र/पुत्रिया महावीर सिंह जाति राजपूत साकिन देह खसरा नं0 89 = 0.581 है0, खसरा नं0 221 = 1.240 है0 कुल 1.821 है0।
7. कालू सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत साकिन देह खसरा नं0 356 = 0.1376 है0, खसरा सं0 353/1 = 0.1505 है0 कुल 0.2881 है0।
8. शिशपाल सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत साकिन देह खसरा सं0 353 = 3.754 है0, खसरा सं0 353/1 = 0.049 है0 कुल 3.803 है0।
9. निर्मल देवी पत्नी नत्थुराम जाति जाट साकिन ठेठार खसरा नं0 63 = 2.200 है0, खसरा सं0 65 = 0.5638 है0 कुल 2.7638 है0।
10. विद्या देवी पत्नी गोमन्दराम जाति जाट साकिन ठेठार खसरा सं0 352 =1.6744 है0, खसरा सं0 356 = 1.0894 है0 कुल 2.7638 है0।

राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग अलग कायम हो। तहसीलदार सूरतगढ़ के पत्रांक भू.अ./2025/4002 दिनांक 01.09.2025 के संलग्न [illegible] नक्शा उक्त आदेश का भाग रहेगा। रहन का नोट संबंधित खातेदार के पक्ष में [illegible] रहेगा। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 16:43:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

सहायक अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ।

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: **परचा डिक्री** ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: **अनवान** ::–

1. भंवर सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपुत निवासी चाहड़सर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादी

बनाम

1. मदन कंवर पुत्री फतेह सिंह पत्नी महावीर सिंह जाति राजपुत निवासी गुडली तहसील सूरतगढ़
2. जमना कंवर पुत्री फतेह सिंह पत्नी पृथ्वी सिंह जाति राजपुत निवासी गुडली तहसील सूरतगढ़
3. रूप कंवर पुत्री फतेह सिंह पत्नी ईसरसिंह जाति राजपुत निवासी जैसीसर तह.सरदारशहर
4. महावीर सिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपुत निवासी चाहड़सर तहसील सूरतगढ़

4/1 विमला कंवर पत्नी महावीर सिंह पुत्र किसन सिंह जाति राजपुत निवासी चाहड़सर

4/2 दीपुकंवर
4/3 राजेन्द्र सिंह
4/4 सुनीता कंवर

} पुत्री महावीर सिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपुत निवासी चाहड़सर तहसील सूरतगढ़

5. सुमेर सिंह पुत्र किसन सिंह जाति राजपुत निवासी चाहड़सर तहसील सूरतगढ़
6. कालू सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपुत निवासी चाहड़सर तहसील सूरतगढ़
7. सोहन गिरी पुत्र प्रेमगर जाति गुंसाई निवासी थालड़का हाल निवासी चाहड़सर
8. निर्मला देवी पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़
9. विद्यादेवी पत्नी गोमन्दराम जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़
10. प्रबन्धक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़
11. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़
12. शिशपाल सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपुत निवासी चाहड़सर तहसील सूरतगढ़
13. मदनकंवर पत्नी रेवन्त सिंह जाति राजपुत निवासी 1 बी0पी0एम0 तहसील अनूपगढ़

–प्रतिवादीगण

वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.ए. एक्ट मुकदमा नं0 285 वर्ष 2025 (OLD Case No.157/2016) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री अजय कुमार अरोड़ा, वकील प्रतिवादीगण श्री लेखराज देरासरी तथा पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है वादपत्र में प्रश्नगत भूमि रोही चाहडसर तहसील सूरतगढ के खसरा नम्बर 63 में 2.200 है0, 65 में 14.758 है0, 89 में 2.402 है0, 221 में 1.240 है0, 352 में 1.6744 है0, 353 में 4.134 है0, 356 में 1.227 है0 = 27.636 है0 बारानी दोयम भूमि का खाता विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1. भंवर सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत साकिन देह खसरा सं0 65 = 8.6510 है0।
2. रामलाल पुत्र सोहनगिरी, प्रकाश गर, प्रताप, मनोहरी, इमरती, सुमित्रा, चन्द्रकला पुत्र/पुत्रीया सोहनगिरी जाति गुसांई साकिन थालड़का खसरा [illegible] = 3.5276 है0।
3. मदन कंवर पुत्री फतेह सिंह जाति राजपूत साकिन देह खसरा सं0 65 = 1.6071 है0।
4. मदन कंवर पत्नी रेवन्त सिंह जाति राजपूत साकिन 1 बी.पी.एम. (90 जी.बी.) खसरा सं0 65 = 0.4085 है0 एवं ख0 सं0 353 = 0.1805 है0 कुल 0.[illegible] है0।
5. सुमेर सिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपूत साकिन देह खसरा सं0 89 = 1.821 है0।
6. विमला कंवर पत्नी महावीर सिंह, दीपु कंवर, राजेन्द्र सिंह, सुनीता कंवर पुत्र/पुत्रिया महावीर सिंह जाति राजपूत साकिन देह खसरा नं0 89 = 0.581 है0, खसरा नं0 221 = 1.240 है0 कुल 1.821 है0।
7. कालू सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत साकिन देह खसरा नं0 356 = 0.1376 है0, खसरा सं0 353/1 = 0.1505 है0 कुल 0.2881 है0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 16:43:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 285/2025
(OLD Case No.157/2016)

8. शिशपाल सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत साकिन देह खसरा सं0 353 = 3.754 है0, खसरा सं0 353/1 = 0.049 है0 कुल 3.803 है0।
9. निर्मल देवी पत्नी नत्थुराम जाति जाट साकिन ठेठार खसरा नं0 63 = 2.200 है0, खसरा सं0 65 = 0.5638 है0 कुल 2.7638 है0।
10. विद्या देवी पत्नी गोमन्दराम जाति जाट साकिन ठेठार खसरा सं0 352 = 1.6744 है0, खसरा सं0 356 = 1.0894 है0 कुल 2.7638 है0।

राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग अलग कायम हो। तहसीलदार–सूरतगढ़ के पत्रांक भू.अ./2025/4002 दिनांक 01.09.2025 के संलग्न नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग रहेगा। रहन का नोट संबंधित खातेदार के पक्ष में यथावत् रहेगा।

नोज --------x------- मुबलिग --------x-------बाबत~--------x-------खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह --------x------- फस्दों की पालना --------x------- आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25.11.2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:10 IST
Reason: SelfAttested